Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Aanganbari Revision No.- 32/2021

Tabassum Ara ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा आंगनबाड़ी वाद सं0–45/2019–20 में दिनांक–31.03.2021 को पारित आदेश तथा ज्ञापांक–456/जि0प्रो0, दिनांक–31.03.2021 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत परमानंदपुर, प्रखंड–रानीगंज के वार्ड नं0–01 में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका पद के लिए अपीलार्थी के साथ कुल 07 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। दिनांक–22.10.2019 को प्रकाशित मेधा सूची में उत्तरवादी सं0–05 ट्विंकल कुमारी प्रथम स्थान पर थी, जिसने अपना मैट्रिक प्रमाण पत्र झारखंड राज्य मुक्त विद्यालय से 511/600 (85.17%) संलग्न किया था। अपीलार्थी बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से फोकनिया की डिग्री प्राप्त थी, जिसमें उनका प्राप्तांक 824/1200 (68.67%) था। उक्त चयन के लिए क्रमशः दिनांक–26.10.2019 एवं दिनांक–11.11.2019 को आयोजित आमसभा में उत्तरवादी ट्विंकल कुमारी का अंक पत्र की छायाप्रति एवं मूल अंक पत्र में भिन्नता पायी गई, साथ ही इनका शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य मुक्त विद्यालय से प्राप्त रहने से विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि उक्त संस्थान बिहार राज्य में मान्य नहीं है। फिर भी सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुए संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा ट्विंकल कुमारी को चयन पत्र निर्गत कर दिया गया। इससे दुखी होकर अपीलार्थी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीगंज के समक्ष अपील वाद सं0–01/2019–20 दायर किया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा उक्त चयन को अवैध	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 26.04.2023	एवं महिला पर्यवेक्षिका द्वारा की गई अनियमितता तो बताई, परन्तु क्रमशः चयन को रद्द नहीं किया। तत्पश्चात इनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के समक्ष अपील वाद सं0–45/2019–20 दायर किया गया, जिसमें उन्होंने दिनांक–31.03.2021 को आदेश पारित करते हुए उक्त चयन को अवैध बताते हुए चयन को रद्द कर दिया, परन्तु अपीलार्थी का चयन न कर पुनः नये सिरे से नियमानुसार चयन की कार्रवाई का आदेश दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। प्रथम मेधा क्रम की चयनित सेविका ट्विंकल कुमारी का शैक्षणिक योग्यता अवैध रहने के कारण जब उसके चयन को रद्द कर दिया गया तो अपीलार्थी के द्वितीय मेधा क्रम पर रहने के कारण चयन होना चाहिए, परन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से नये सिरे से चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए इन्हे सेविका पद पर बहाल करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–05 ट्विंकल कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। उत्तरवादी सं0–05 के द्वारा उक्त केन्द्र के सेविका पद हेतु सभी वांछित कागजातों के साथ आवेदन के साथ ही आयोजित आम सभा में प्रथम क्रम पर रहने के कारण निष्पक्ष रूप से नियमानुकूल उसका चयन किया गया। आम सभा में इनके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों को समर्पित किया गया। सभी प्रमाण पत्रों के जाँचोपरांत ही इन्हें चयन पत्र निर्गत किया गया। इनका शैक्षणिक योग्यता झारखंड मुक्त विद्यालय से निर्गत है। बिहार राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–3/M/34/2019–13584, दिनांक–01.10.2019 द्वारा निर्गत पत्र द्वारा बिहार राज्य की सभी नौकरी में मुक्त विद्यालय के प्रमाण पत्रों को वैधता दी गई है। आम सभा में चयन पैनल की अवधि दिनांक–11.11.2019 से प्रभावी हो गया, सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के अनुसार पैनल की वैधता की अवधि अगले एक वर्ष तक ही मान्य है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक–31.03.	

Web Copy. Not Official.

	<u>लगातार</u> 26.04.2023	2021 को आदेश निर्गत है जो पैनल की अवधि समाप्त होने के बाद की है। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पुनः नये सिरे से चयन की प्रक्रिया का आदेश पूर्णतः वैध है। इनके द्वारा अपील वाद का क्रमशः अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका चयन हेतु आम सभा में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अमान्य झारखंड बोर्ड के प्रमाण पत्र पर चयन किया जाना नियमाकूल नहीं है। जिस कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा उक्त चयन को रद्द करते हुये नये सिरे से नियमानुसार चयन करने का आदेश निर्गत किया गया है, जो सही है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश के प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.